फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भीमा रावत बनाम **विपक्षी :** श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर व अन्य

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 100/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 10.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी के सम्मन बाद तामील प्राप्त। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। शामिल फाईल रहे। रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात मे प्रार्थी का नाम त्रुटिपूर्ण भीमराज पिता काल्या रावत अंकित है जबकि प्रार्थी का सही एव वास्तविक नाम भीमा रावत पिता कालू रावत है। प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड मे बोलचाल का नाम भीमराज पिता काल्या रावत नाबालिग अवस्था मे दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में प्रार्थी का सही नाम भीमा रावत पिता कालू रावत अंकित है। अतः राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी द्वारा अपना नाम भीमराज पिता काल्या रावत के बजाय भीमा रावत पिता कालू रावत संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पाया कि तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम वाणियातलाई की जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 की खाता सं. 26, 27 और 162 में प्रार्थी का नाम भीमराज पिता काल्या जाति रावत हिस्सा क्रमशः 1/3, 1/6 और 1/12 सा. देह दर्ज रिकार्ड हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि खातेदार भीमराज पिता काल्या जाति रावत सा. देह को भीमा पिता कालू जाति रावत सा. देह के नाम से भी जाना एवं पहचाना जाता है। राजस्व ग्राम वाणियातलाई में भीमा पिता कालू व भीमराज पिता काल्या जाति रावत नाम का एक ही व्यक्ति है इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं हैं। प्रार्थी का नाम मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व राशन कार्ड में भीमा पिता कालू रावत दर्ज है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है और किसी भी बैंक का रहन भी दर्ज नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, निर्वाचक नामावली की प्रति, बिजली बिल की प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का भीमा पिता कालू रावत अंकित हैं साथ ही कार्यालय ग्राम पंचायत वाणियातलाई का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया की भीमराज पिता काल्या रावत का सही नाम भीमा रावत पिता कालू रावत हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वाणियातलाई पटवार हल्का वाणियातलाई तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 26, 27, 162 में प्रार्थी का नाम भीमराज पुत्र काल्या रावत के बजाय भीमा रावत पिता कालू रावत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:18:53 IST
Reason: SelfAttested